14.6.XVIII

वादी अधिवक्ता को टेर-2 कर मिलकर आवाजें लगवाये जाने पर भी वादी अधि० उप० नहीं, तदोपरान्त, वादी को टेर-2 कर मिलकर आवाजें लगवाये जाने पर वादी भी उप० नहीं. अत: पत्रावली अदम उपस्थिति/अदम पैरवी खारिज की जाती है. पत्रावली बाद तामिला के क्रम से कक्ष को जाकर निर्णय की सूचि में शामिल हो.

(श्रीमती रीना चौरसिया)